

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:-प्राशिप/परिषद/2024/5391


लखनऊ:दिनांक- 08-08-2024

:- कार्यालय ज्ञाप:-

परिषद की पाठ्यक्रम समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या 2595/1-प्राशिप-3-1997 दिनांक 02 अगस्त 1997 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के समकक्ष घोषित किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की गयी है।

अतः जिन पदों पर नियुक्ति हेतु डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अर्हता निर्धारित है। उन पदों पर नियुक्ति हेतु डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) के अभ्यर्थी सुपात्र हैं।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (ए0आई0सी0टी0ई0) के अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक (APH 2022-23) के Annexure-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे संबंधित Relevant/Appropriate पाठ्यक्रम की सूची दी गयी है, जिसे अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पालीटेक्निक संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचालित होती हैं।


08/08/2024
(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव
(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उ०प्र०, लखनऊ।